प्रेस नोट - दिनांक 09.01.2025

थाना असोहा, जनपद उन्नाव।

मंदिर से साउंड सिस्टम चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसोहा पुलिस द्वारा मंदिर से साउंड सिस्टम चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी के साउंड सिस्टम के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 07/08.01.2025 को रात्रि में शक्ति पीठ माँ हरीशंकरी देवी मंदिर बहद ग्राम समाधा से अभियुक्त (चोर) अरविन्द उर्फ लाला मिश्रा पुत्र श्री लाला मिश्रा निवासी ग्राम सरवन थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा मन्दिर का ताला तोड कर साऊण्ड सिस्टम चोरी कर लिया था, जिसके सम्बन्ध मंदिर के पुजारी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 शिवबालक मिश्रा निवासी ग्राम समाधा थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा तहरीर देकर थाना असोहा पर कल दिनांक 08.01.2025 पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 331(4)/305 B.N.S पंजीकृत कराया गया था।थाना असोहा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मंदिर से चोरी हुए साउण्ड सिस्टम को बरामद कर चोर अरविन्द उर्फ लाला मिश्रा उपरोक्त को ग्राम सरवन से आज दिनांक 08.01.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1. अरविन्द उर्फ लाला मिश्रा पुत्र लाल मिश्रा नि0 सरवन थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 54 वर्ष

बरामदगी –

एक अदद साउण्ड सिस्टम

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल
2. उ0नि0 श्री इन्द्र बहादुर सिंह
3. का0 शनि कुमार
4. का0 प्रवीण कुमार।

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 09.01.2025

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 06.01.2025 को मुकदमा वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 05/2025 धारा-115(2)/74/110 BNS व 7 / 8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। पीडिता के माननीय न्यायालय के समक्ष बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा धारा 110 बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 7/8 पॉस्को एक्ट को धारा 3/4(2) पास्को एक्ट में तरमीम किया गया है। बढोत्तरी धारा के आधार पर बाल अपचारी को आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

संरक्षण मे लेने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
2. हे0का0 अमर सिंह
3. आरक्षी विश्वजीत

प्रेस नोट - दिनांक 09.01.2025

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का वांछित आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 24.12.2024 को थाना बेहटा मुजावर मु0अ0सं0 366/2024 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीकृत हुआ । विवेचना उ0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में पीड़िता/ गुमशुदा को बरामद कर बयान व मेडिकल परीक्षण नियमानुसार कराया गया । साक्ष्य संकलन से धारा 64/87 बीएएस की बढ़ोत्तरी गयी तथा अभियुक्त विमल कुमार पुत्र रामबली नि0 पंचमखेड़ा मजरा ब्यौली इस्लामाबाद थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्त विमल कुमार उपरोक्त को अंतर्गत धारा 64/87/137(2) बीएनएस में आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर ब्यौली इस्लामाबाद पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

विमल कुमार पुत्र रामबली नि0 पंचमखेड़ा मजरा ब्यौली इस्लामाबाद थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 सतीश सिंह

2.हे0का0 सुभाष चन्द्र

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 09.01.2025

एस0पी0सी0/एस0पी0ई0एल0 सेल, जनपद उन्नाव ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में **STUDENT POLICE EXPERIENTIAL LEARNING PROGRAMME - 2.0** (एस0पी0ई0एल0 प्रोग्राम) चलाया जा रहा है । उक्त प्रोग्राम के तहत आज दिनांक 09-01-2025 को इन्दिरा गाँधी राजकीय महाविद्यालय उन्नाव , के 08 छात्र / छात्राओं को 30 दिवस के ईन्टर्नशिप प्रोग्राम हेतु थाना बांगरमऊ उन्नाव में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया । उक्त प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को एफआईआर लेखन,जनरल डायरी,अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क आदि के बारे में बताया गया , साथ ही विद्यार्थियों को पुलिस के अधिकार व कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया ।

थाना स्तरीय नोडल अधिकारी –

1. नि0 राजेश पाठक (थाना प्रभारी)
2. नि0 रामनारायण (क्राइम इंस्पेक्टर)
3. का0 अनुज कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 09.01.2025

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव।

शिवलिंग खंडित करने वाला अभियुक्त अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा शिवलिंग खंडित करने वाले अभियुक्त को एक अदद अवैद तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 08.01.2025 को थाना पुरवा क्षेत्रांतर्गत शिवलिंग को खंडित करने की घटना के संदर्भ में थाना पुरवा पर मु0अ0स0 02/25 धारा 298 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया तथा मुकदमे से संबन्धित अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र स्व0 रज्जनलाल निवासी ग्राम अंगनुआखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव (जाति कुर्मी) को मय एक अदद कुल्हाड़ी व एक तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के नहर पुलिया ग्राम टीकरखुर्द से दिनांक 08.01.2025 को गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा बरामदगी के संदर्भ में थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 03/2025 धारा 3/25 A ACT बनाम पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अवधेश कुमार पुत्र स्व0 रज्जनलाल नि0ग्राम अंगनुआखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

-अभियुक्त अवधेश कुमार के कब्जे से शिवलिंग खण्डित करने में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी व एक अदद तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 सियाराम चौरसिया

2.कां0 हर्ष अहलावत

3.कां0 प्रशान्त सिंह

4.कां0 आशीष तिवारी